Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

गोपाललाल मालीवाल बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **093** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.2022	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई है। अपीलार्थी गोपाललाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 105 सेक्टर नंबर 1 गांधीनगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की और से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **25.10.2022** के संबंध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन (मेमो) सुस्पष्ट एवं हस्ताक्षरित होने के साथ में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति, आवेदन शुल्क प्रति एवं आवेदन पावती रसीद यथा डाक रसीद के उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन (अपील मेमो) की छाया प्रति बिना हस्ताक्षरित प्रस्तुत की गई है। अपील आवेदन पत्र का अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा आवश्यक रूप से प्रावधित/वांछित किया गया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील मूल दस्तावेज के अभाव में ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर खारीज की जाती है, एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करावे। अहकाम की प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ 14.12.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	